कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/पी0जी0–2020/1028

लखनऊ:दिनांक: 22 जून, 2020

आवश्यक सूचना

यू0पी0नीट पी0जी0 2020 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे प्रवेशित अभ्यर्थियो द्वारा निरन्तर रूप से प्रायः यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो द्वारा प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग मे छात्रो को दिये जाने वाले छात्रवेतन**(Stipend)** के संबंध मे वेबसाइट पर दी गई धनराशि को संशोधित कर छात्रवेतन**(Stipend)** की धनराशि कम कर प्रदर्शित की जा रही है।

उक्त के संबंध मे निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे प्रवेशित अभ्यर्थियो को दिये जाने वाले छात्रवेतन**(Stipend)** का निर्धारण शासन/महानिदेशालय स्तर से नहीं किया जाता है। यू0पी0नीट पी0जी0 2020 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3/2020/693 दिनांक 19 अप्रैल, 2020 द्वारा छात्रहित मे विभागीय वेबसाइट पर अभ्यर्थियो के लिए जारी महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश मे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि:–

''निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।''

अतः निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे प्रवेशित अभ्यर्थी अपने छात्रवेतन**(Stipend)** के संबंध मे प्रवेशित कालेज से सम्पर्क स्थापित करे।

महानिदेशक।